मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची

आवश्यक सूचना

राज्य के सभी सक्रिय मत्स्य कृषकों का NFDP (National Fisheries Digital Platform) पोर्टल में निबंधन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् राज्य के सक्रिय मछुआरों, मत्स्य (जलकृषि) किसान, मत्स्य श्रमिक, विक्रेता, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्वामित्व, फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी समितियाँ, स्टार्ट–अप, FFPO (मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन) एवं मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में शामिल अन्य किसान को प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह–योजना के तहत् राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफार्म (NFDP) में निबंधन किया जाना है। उक्त डिजिटल प्लेटफार्म का मूल उद्देश्य मात्स्यिकी से जुड़े सभी मत्स्य कृषकों, मछुआरा, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य उद्यमी सहित सभी हितधारक को एक डिजिटल प्लेटफार्म में लाना है।

इस प्लेटफार्म में निबंधन कराने से राज्य के सभी सक्रिय मछुआरों को बीमा का लाभ एवं ऋण सुविधा आदि का लाभ देय होगा। इस NFDP (National Fisheries Digital Platform) पोर्टल लिंक–**https://nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/registration** में मत्स्य कृषक स्वयं अथवा जिला मत्स्य कार्यालय अथवा नजदीकी के **प्रज्ञा केन्द्र (CSC) के माध्यम से निःशुल्क निबंधन** करा सकते हैं। NFDP के लिंक पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर इसकी सूचना अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालय में उपलब्ध करायें। विशेष जानकारी के लिए अपने जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें। भविष्य में योजना से आच्छादन में सुविधा होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने जिले में अभियान चलाकर अधिकाधिक निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे।

।। जितना जल्दी हो पंजीकरण कराएँ, मात्स्यिकी से जुड़ने का अवसर पाएँ।।

निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची

PR 342466 (Fish) 24-25 (D)

Govt. of Jharkhand